



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 64—अ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०१०

दिनांक: 30 जून, 2010

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतदद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है एवं स्तम्भ संख्या—(2) में अंकित उनके वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होकर स्तम्भ संख्या—(3) में अंकित तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से नियमित तैनाती की जाती है :—

नाम (अभियन्ता) (गृह जनपद)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/ स्थान	प्रोन्नति के पश्चात् तैनाती का कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)
श्री दीपक कुमार सक्सेना 88159 मुरादाबाद	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उप खण्ड, लेसा, लखनऊ	प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिंग, लखनऊ को आवंटित

2— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21—३—२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3— उक्त प्रोन्नत अधिकारी को रथानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये।

4— उपरोक्त प्रोन्नत आदेश याचिका संख्या: 34006/95 गैर अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारी, कल्याण परिषद एवं अन्य बनाम भारत संघ तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में दायर याचिका संख्या: 262 (एस/बी)/2004 रघुनाथ प्रसाद एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य तथा याचिका संख्या: 1758 (एस०बी०)/2002 श्री बृज मोहन लाल अग्रवाल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबंधाधीन होंगे।

5— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं-5910—गोपन/पाकालि(06)—2001 दिनांक 11—६—२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

6— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को उनकी नियमित तैनाती के उपरान्त कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900—प्रशि०—१०/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता का कार्यभार नियमित रूप से ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संशाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

अपर प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 64 (1)अ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०१० तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के प्रमुख निजी सचिव/अपर प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अधिशासी निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 3— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का० लि० /उ०प्र०पा०द्रान्समिशन का०लि०।
- 4— मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5— समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 7— अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, कमरा नं०—४०७, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8— अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,


(नरेन्द्र पाल सक्सेना)

उप सचिव